



कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कटघोरा जिला-कोरबा(छत्तीसगढ़)

दूरभाष : 07815250333

ई-मेल: sdmkatghora@gmail.com

//आदेश//

क्रमांक / 2434 / अविअ / COVID-19 / 2021

कटघोरा, दिनांक 03/05/2021

एतद् द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रं./2119/अविअ/कोविड-19/2021 कटघोरा, दिनांक 19.04.2021 द्वारा तहसील कटघोरा क्षेत्र अंतर्गत, ग्राम कटसीरा के वाड क0 09 के कदमपारा मोहल्ला में कुल 06 व्यक्तियों को कोरोना घनात्मक केस पाये जाने के उपरांत उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। उक्त क्षेत्र में पिछले 14 दिवस से पुनः कोई भी नये कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आये है।

अतः कार्यालयीन माइको कंटेनमेंट जोन की अधिसूचना को समाप्त करते हुए चिन्हांकित क्षेत्र को माइको कंटेनमेंट जोन से विमुक्त किया जाता है। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा के आदेश क्रमांक/ 6310/ सां.लि./2021 कोरबा दिनांक 24.04.2021 द्वारा कोरबा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 05.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, अतः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा जारी आदेश का पालन किया जाता रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी

कटघोरा, जिला -कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ.क्रमांक / 2435 / अविअ / COVID-19 / 2021

कटघोरा, दिनांक 03 / 05 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, कोरबा (छ0ग0)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मण्डलाधिकारी कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आयुक्त नगर निगम कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुंडा/दीपका/गेवरा/ क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. नगर पुलिस अधीक्षक दर्रा /अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कटघोरा/दर्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. उप वनमंडलाधिकारी पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. जोन कमिश्नर नगर पालिक निगम कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. नायब तहसीलदार दीपका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. खण्ड चिकित्सा अधिकारी कटघोरा /शहरी खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोरबाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास कटघोरा/शहरी परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
19. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दीपका/कटघोरा/नगर पंचायत छुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
20. सहायक खाद्य अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
21. थाना प्रभारी अनुभाग कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
22. उप संचालक जनसंपर्क कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
23. सर्व संबंधित.....को सूचनार्थ/पालनार्थ।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
कटघोरा, जिला -कोरबा (छत्तीसगढ़)

न्यायालय नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी दीपका, जिला-कोरबा (छ.ग.)

// प्रतिवेदन //

क्रमांक/ 948 /कार्य.दण्डा./2021

दीपका, दिनांक 03/05/2021

प्रति,


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदया
अनुविभाग - कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

विषय :- माइक्रो कंटेनमेंट जोन से विमुक्त करने बाबत।
संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कटघोरा का पत्र क्रमांक/2119/अविअ
/COVID-19/2021 कटघोरा, दिनांक 19.04.2021

-----:0000:-----

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश के तहत उप तहसील दीपका क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कटसीरा के वार्ड क्र. 09 के कदमपारा मोहल्ला के प्रस्तावित नजरी नक्शा एवं चौहद्दी के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 30-30 मीटर की परिधि को कलस्टर कंटेनमेंट जोन एवं उसके बाद 20-20 मीटर की परिधि को बफर जोन, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर कंटेनमेंट जोन की घोषणा तिथि से 14 दिवस के भीतर कोरोना/कोविड का कोई भी नया प्रकरण नहीं मिलने के कारण ग्राम कटसीरा के वार्ड क्र. 09 के कदमपारा मोहल्ला के प्रस्तावित नजरी नक्शा एवं चौहद्दी के संपूर्ण क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन से विमुक्त किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- पटवारी प्रतिवेदन।


नायब तहसीलदार

एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी
दीपका, जिला कोरबा (छ.ग.)

पृष्ठां. क्रमांक/ 949 /कार्य.दण्डा./2021

दीपका, दिनांक 03/05/2021

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदया कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी महोदय कटघोरा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।


नायब तहसीलदार

एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी
दीपका, जिला कोरबा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner